प्रपत्र-VI

बिहार सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग संख्या-15/भू0अ0

(भू-अर्जन निदेशालय)

या दिनांक- 13/07/18

समाहर्त्ता/अपर समाहर्त्ता-सह-समुचित सरकार

प्रारंभिक अधिसूचना

(अधिनियम-30/2013 की धारा-11(1) के अधीन)

चूंकि बिहार सरकार/समाहर्त्ता को यह प्रतीत होता है, कि कुल 2.60 एकड़ भूमि गाँव-छतौना, राजस्व थाना-बेगूसराय, थाना सं0-180, अंचल नावकोठी, जिला बेगूसराय में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ, यथा परियोजना मुख्यमंत्री सेतु योजना अंतर्गत बूढ़ी गंडक नदी पर छतौना घाट में पुल के पहुँच पथ हेतु भू-अर्जन अपेक्षित है, इसलिए राज्य एस0 आई0 ए0 ईकाई आद्री द्वारा सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन प्राप्त है। उक्त प्रतिवेदन को बहु विधा विशेषज्ञ समूह के द्वारा अनुमोदित किया गया है। सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन का सार-संक्षेप यथानिम्न है:-

विषयांकित परियोजना के कियान्वयन हेतु प्रस्तावित भू-अर्जन लोक उद्देश्य एवं स्थानीय जनता के समग्र विकास के लिये की जा रही है, तथा परियोजना से भविष्य में होने वाले लाभ सामाजिक लागत के सापेक्ष ज्यादा है। कोई भी परिवार इस परियोजना में विस्थापित नहीं हो रहा है। अतएव अधिसूचित हो कि गाँव छतौना, राजस्व थाना बेगूसराय, थाना सं0 180 अंचल नावकोठी, जिला बेगूसराय में उपर्युक्त कथित परियोजना के लिए कमोवेश 2.60 एकड़ यानी 1.05 हेक्टेयर मानक माप का भूखंड, जिसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित है, अर्जनाधीन है ....
....
....

क0 सं0	सर्वेक्षण भूखड संख्या	हक का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्र (एकड़ में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भूखंड सं0)			
						उ0	द0	पू0	प0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	804	रैयती	एक फसला	0.026	गुलो सिंह उर्फ विशुन देव सिंह पे0-लाखपति सिंह सा0-छतौना	बाँध	सर्वे खेसरा सं0-805,	सर्वे खेसरा सं0-806	अंश खेसरा सं0-804
2	805	रैयती	एक फसला	0.015	राजकुमार सिंह पे0-स्व0 प्रमेश्वर सिंह सा0-छतौना	सर्वे खेसरा सं0-804	अंश खेसरा सं0-805	सर्वे खेसरा सं0-806	अंश खेसरा सं0-805
3	806	गैरमजरूआ आम बिहार सरकार	चौड़	0.245	बिहार सरकार	बाँध	अंश खेसरा सं0-806, एवं सर्वे खेसरा सं0-1391 नदी	सर्वे खेसरा सं0-808 एवं 807	अंश खेसरा सं0-806, सर्वे खेसरा सं0-805
4	807	रैयती	एक फसला	0.12	रामकुमार सिंह वगैरह पे0-स्व0 किशोरी प्र0 सिंह वो उमेश प्र0 सिंह पे0-स्व0 प्रमेश्वरी सिंह, राम नरेश सिंह पे0-गंगा सिंह सा0-छतौना	सर्वे खेसरा-808	सर्वे खेसरा सं0-1391 (नदी)	अंश खेसरा सं0-807 एवं सर्वे खेसरा सं0-809	सर्वे खेसरा सं0-806
5	808	रैयती	एक फसला	0.214	रामकुमार सिंह वगैरह पे0-स्व0 किशोरी प्र0 सिंह वो उमेश प्र0 सिंह पे0-स्व0 प्रमेश्वरी सिंह सा0-छतौना	बाँध	सर्वे खेसरा सं0-807	अंश खेसरा सं0-808	सर्वे खेसरा सं0-806
6	1391	गंडक नदी बरार	एक फसला	0.30	रामकुमार सिंह वगैरह पे0-स्व0 किशोरी प्र0 सिंह वो उमेश प्र0 सिंह पे0-स्व0 प्रमेश्वरी सिंह, सा0-छतौना	सर्वे खेसरा सं0-806 एवं 807	सीमा रेखा अझौर थाना नं0-237	अंश खेसरा 1391 नदी बरार	अंश खेसरा सं0-1391 नदी बरार

7	1391	गंडक नदी बरार	एक फसला	0.83	राम नरेश सिंह पे0–गंगा सिंह सा0–छतौना				
8	1391	गंडक नदी बरार	एक फसला	0.35	सुधीर सिंह व ब्यास सिंह पे0–स्व0 कैलाश सिंह सा0–छतौना	सर्वे खेसरा सं0–806 एवं 807	सीमा रेखा अझौर	अंश खेसरा 1391 नदी बरार	अंश सं0–13 ब
9	1391	गंडक नदी बरार	एक फसला	0.30	मनोज सिंह वगैरह पे0–बिन्देश्वरी सिंह सा0–छतौना				
10	1391	गंडक नदी बरार	एक फसला	0.20	लक्ष्मी सिंह वगैरह पे0–द्वारिका सिंह सा0–छतौना				

यह अधिसूचना भू–अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनियम, 2013 (अधिनियम संख्या 30/2013), में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता के अधिकार की धारा–11(1) के उपबंधों के अधीन सभी संबंधित के लिए की गई है।

भूमि की योजना का निरीक्षण जिला भू–अर्जन पदाधिकारी के कार्यालय में किसी कार्य दिवस को कार्यावधि 10:00 बजे से 5:00 तक में किया जा सकेगा। बिहार सरकार/समाहर्त्ता–सह–समुचित सरकार उक्त अधिनियम की धारा–12 में यथाउपबंधित एवं यथाविनिर्दिष्ट कार्यो के समुचित निष्पादन हेतु अपेक्षित किसी भूमि का सर्वेक्षण एवं उसकी प्रविष्टि करने, किसी भूमि के किसी स्तर को अधिकार में लेने के लिए, अवभूमि खोदने या भू–वेधन छिद्र करने के लिए सभी अन्य कार्यों के संचालन करने तथा जिला भू–अर्जन पदाधिकारी बेगूसराय और उनके कर्मचारी कानूनगो एवं निर्देशित पदाधिकारी को प्राधिकृत करती है।

इस अधिनियम की धारा–11(4) के अधीन कोई व्यक्ति समाहर्त्ता के पूर्विक अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई अंतरण यथा क्रय/विक्रय नहीं करेगा या ऐसा कोई अंतरण करवाएगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम उत्पन्न करेगा।

अधिनियम की धारा–15 के अधीन यथाउपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से साठ (60 दिनों) के अंतर्गत भू–अर्जन की बाबत किसी प्रकार की आपत्तियाँ हितबद्ध व्यक्ति द्वारा जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, बेगूसराय के समक्ष दर्ज की जा सकेगी।

ह0/–
समाहर्त्ता,
बेगूसराय।

ज्ञापांक–15/दिनांक–13/01/18/

प्रतिलिपिः– प्रभारी पदाधिकारी, जिला गजट बेगूसराय को जिला राज पत्र के अगले असाधारण/साधारण अंक में प्रकाशित करने वो इसकी दस अतिरिक्त प्रतियाँ इस विभाग को भेजने के लिए भेजी जाती है।

ज्ञापांक–........./दिनांक–........./

प्रतिलिपिः– निदेशक भूमि अर्जन विभाग बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

ज्ञापांक–........./दिनांक–........./

प्रतिलिपिः– प्रतिलिपि निदेशक सूचना एव जन सम्पर्क विभाग बिहार, पटना को चार प्रतियों के साथ (सी0डी0सहित) दो दैनिक समाचार पत्रो जिसमें एक स्थानीय भाषा में हों में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित अधिसूचना की प्रति जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, बेगूसराय को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।

ज्ञापांक–........./दिनांक–........./

प्रतिलिपिः– आयुक्त मुंगेर प्रमण्डल, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ज्ञापांक–........./दिनांक–........./

प्रतिलिपिः– जिला अवर निबंधक बेगूसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ज्ञापांक–15/दिनांक–13/01/18/

प्रतिलिपिः– आई0 टी0 मैनेजर, बेगूसराय को समुचित सरकार/समाहर्त्ता के बेबसाइट पर प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।

आई टी मैनेजर
बेगूसराय

समाहर्त्ता,
बेगूसराय।

rck/dlao/parpt vi14 |